रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272869
CG-DL-E-26052026-272869

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948
No. 144] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

गृह मंत्रालय

(विदेशी-I प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सं. 25022/38/2025-एफ. I .— जबकि अवैध आप्रवास के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से व्यापक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और चूंकि देश के कुछ क्षेत्रों में ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं जो सामान्य प्रजनन अथवा मृत्यु दर के प्रतिफल नहीं हैं, बल्कि अवैध प्रवास, अनियमित जनसंख्या गतिशीलता तथा प्रशासनिक तंत्र की शिथिलता जैसे बाह्य असामान्य कारकों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं;

2. यद्यपि ये परिवर्तन सीमावर्ती जिलों में सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं, तथापि इनका प्रभाव केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है। इनका दायरा अब शहरी केंद्रों, औद्योगिक पट्टियों, जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे सार्वजनिक सेवा प्रदाय, स्थानीय शासन, संसाधन वितरण तथा सामाजिक संरचना पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान संस्थागत तंत्र इस प्रकार के परिवर्तनों के समन्वित, साक्ष्य-आधारित एवं समयबद्ध मूल्यांकन और समाधान हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं रहे हैं;

3. अतः, भारत सरकार यह संकल्प करती है कि देश में हो रहे इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की प्रकृति, कारणों एवं प्रभावों का वैज्ञानिक अध्ययन करने और उपयुक्त नीतिगत, प्रशासनिक एवं विधिक उपायों की अनुशंसा करने हेतु गृह मंत्रालय के अधीन एक “जनसांख्यिकीय परिवर्तन हेतु उच्च स्तरीय समिति” (HLCDC) का गठन किया जाए।

4. “जनसांख्यिकीय परिवर्तन हेतु उच्च स्तरीय समिति” (HLCDC) की संरचना निम्नानुसार होगी:

पदनाम	**विवरण**
अध्यक्ष	न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त)
सदस्य सचिव	संयुक्त सचिव (विदेशी-I), गृह मंत्रालय
सदस्य	i. जनगणना आयुक्त ii. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, सेवानिवृत्त IAS iii. श्री बालाजी श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त IPS iv. डॉ. शमिका रवि समिति आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों को नामित कर सकती है और स्थानीय सरकारों, सुरक्षा एजेंसियों, सामाजिक संगठनों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर सकती है।

5. “जनसांख्यिकीय परिवर्तन हेतु उच्च स्तरीय समिति” (HLCDC) की कार्य रूपरेखा (Terms of Reference) इस प्रकार है:

i) अवैध आप्रवास सहित जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना।

ii) ऐसे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना, जैसे प्रजनन क्षमता में भिन्नता, सीमा पार गतिविधियाँ (अवैध आप्रवास सहित), आर्थिक अवसर और अन्य सामाजिक-पर्यावरणीय कारक।

iii) इन परिवर्तनों के पीछे अंतर्निहित कारकों की पहचान करना, जिसमें अवैध आप्रवास, असामान्य बसावट पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल हैं।

iv) धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तर पर संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से समान रुझानों से अलग होने पर।

v) देश में पहले से ही रहने वाले अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन के लिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना।

vi) ऐसे रुझानों की निरंतर निगरानी के लिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना।

vii) अवैध आप्रवास और परिणामी जनसांख्यिकीय असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना।

viii) समिति जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध आप्रवास भी शामिल है, से निपटने के लिए किसी अन्य उपाय, जिसे वह उचित समझे, की सिफारिश कर सकती है।

6. समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्ति से अपने कार्य के लिए आवश्यक कोई भी सूचना, अभिलेख या दस्तावेज प्राप्त कर सके।

7. समिति को जांच, परामर्श, विश्लेषण और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाओं को निर्धारित करने की शक्ति होगी। समिति, गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से, कोई जांच, परामर्श या विश्लेषण करने के लिए उप-समितियों और/या कार्य समूहों का गठन कर सकती है।

8. गृह मंत्रालय, समिति को सचिवालय और अन्य सभी प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा।

9. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

10. समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

गया प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Foreigners-I Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th May, 2026

No. 25022/38/2025-F.I.—Whereas, extensive challenges have arisen from demographic changes, including due to illegal immigration and whereas demographic changes have been observed in certain regions of the country which are not attributable to normal fertility or mortality trends but are instead emerging due to external abnormal factors such as illegal immigration, irregular population mobility, and administrative laxity;

2. And whereas, although these changes are most visibly concentrated in the border districts, their impact has extended beyond those areas, now affecting urban centres, industrial corridors, tribal regions, and other socially and economically sensitive areas, thereby severely impacting public service delivery, local governance, resource distribution, and social cohesion. The existing institutional framework has not been adequately equipped to undertake coordinated, evidence-based, and time-bound evaluation and response to such demographic shifts;

3. Now, therefore, the Government of India resolves to constitute a High-Level Committee on Demographic Changes (HLCDC) under the Ministry of Home Affairs to undertake scientific study of the nature, causes and consequences of such demographic changes occurring across the country and to recommend appropriate policy, administrative and legal measures.

4. The composition of the High-Level Committee on Demographic Changes (HLCDC) shall be as follows:

Position	**Description**
Chairman	Justice Prakash Prabhakar Naolekar (Retd.)
Member Secretary	Joint Secretary (Foreigners-I), MHA
Member	(i) Census Commissioner (ii) Shri Durga Shankar Mishra, Retd. IAS (iii) Shri Balaji Srivastava, Retd. IPS (iv) Dr. Shamika Ravi The committee may nominate other experts/agencies as needed and consult with various stakeholders including local governments, security agencies, social organizations, and academic institutions.

5. The Terms of Reference of the High-Level Committee on Demographic Changes shall be as follows:

i) To undertake an extensive consideration of the challenges arising from demographic changes, including due to illegal immigration.

ii) To study the possible causes of such demographic changes, such as variations in fertility, cross-border movement (including illegal immigration), economic opportunities, and other socio-environmental factors.

iii) To identify the underlying factors behind these changes, including illegal immigration, abnormal settlement patterns, and planned migration.

iv) To analyse structural population changes at the level of religious or social communities, especially those diverging from uniform trends.

v) To recommend a well-organized and permanent operational system for the legal, fair and time bound identification, detention, and deportation of illegal immigrants already residing in the country.

vi) To recommend an appropriate institutional mechanism to strengthen border management, population stabilization, and identification systems for sustained monitoring of such trends.

vii) To propose a comprehensive policy framework to enhance coordination between Central and State Governments in matters related to illegal immigration and resultant demographic imbalance.

viii) The Committee may recommend any other measure it deems appropriate to address the challenges arising from demographic changes, including due to illegal immigration.

6. The committee shall have the authority to requisition any information, records, or documents necessary for its work from any Ministry, Department, State Government, public authority or individual.

7. The committee shall have the power to determine its own procedures for inquiry, consultation, analysis, and submission of its report. The committee, with the prior approval of the Ministry of Home Affairs, may constitute sub-committees and/or working groups to undertake any inquiry, consultation or analysis.

8. The Ministry of Home Affairs shall provide secretarial and all other administrative and logistical support to the committee.

9. The headquarters of the committee shall be located in New Delhi.

10. The committee shall submit its final report within a period of one year.

GAYA PRASAD, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and other Members of the Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GAYA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.26
16:00:47 +05'30'